झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–01

सप्तदश (मॉनसून) सत्र
शुक्रवार, दिनांक–26जुलाई, 2024 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 11.42 बजे पूर्वा० तक।
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रारम्भिक वक्तव्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्रावण मास की मधुर वेला में आहूत पंचम् झारखण्ड विधान सभा के सप्तदश (मॉनसून) सत्र में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन एवं जोहार है। पंचम् झारखण्ड विधान सभा 06 जनवरी, 2020 से आरम्भ होकर अपने अंतिम चरण में है। हमलोगों के लिए विगत सभी सत्र उपलब्धियों से भरे हुए हैं और वर्त्तमान सत्र भी अत्यंत उपयोगी रहेगा ऐसी हमें आशा है, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। वर्त्तमान सत्र में कुल छः बैठकें निर्धारित हैं जिसका हमें भरपूर उपयोग करना हे। कार्यदिवस की दृष्टि से यह सत्र छोटा अवश्य है, परन्तु, इसका गुणात्मक एवं व्यापक उपयोग में आपकी उत्कृष्ट भूमिका रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का अभिनन्दन है।

2.सभापति तालिका की घोषणा–

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–10(1) के अधीन पंचम् झारखण्ड विधान सभा के सप्तदश (मॉनसून) सत्र के लिए निम्नांकित माननीय सदस्यों को सभापति मनोनीत किया गया–

श्री स्टीफन मराण्डी,	स०वि०स०,
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	स०वि०स०,
श्री रामचन्द्र सिंह,	स०वि०स०,
श्री निरल पुरती,	स०वि०स०,
श्री रामदास सोरेन,	स०वि०स०।

3.कार्य–मंत्रणा समिति की घोषणा–

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–224(1) के अधीन पंचम् झारखण्ड विधान सभा के सप्तदश (मॉनसून) सत्र के लिए कार्य–मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया–

श्री रवीन्द्रनाथ महतो,	अध्यक्ष	सभापति
श्री हेमन्त सोरेन,	मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री अमर कुमार बाउरी,	नेता प्रतिपक्ष	सदस्य
डॉ० रामेश्वर उराँव,	संसदीय कार्यमंत्री	सदस्य
श्री सत्यानन्द भोक्ता,	मंत्री	सदस्य
श्री सुदेश कुमार महतो,	स०वि०स०	सदस्य
श्री सरयू राय,	स०वि०स०	सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री बन्ना गुप्ता,	मंत्री
श्री दीपक बिरूआ,	मंत्री
श्री मथुरा प्रसाद महतो,	सचेतक (सत्तापक्ष)
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,	स०वि०स०
प्रो० स्टीफन मराण्डी,	स०वि०स०
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा,	स०वि०स०
श्री प्रदीप यादव,	स०वि०स०
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	स०वि०स०
श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता,	स०वि०स०
श्री विनोद कुमार सिंह,	स०वि०स०
श्री कमलेश कुमार सिंह,	स०वि०स०
श्री बसन्त सोरेन,	स०वि०स०
श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	स०वि०स०

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

इस समिति की बैठक सभा की आज की कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद अध्यक्षीय कार्यालय कक्ष में होगी, इस आशय की सूचना आसन से दी गयी तथा सभी सम्बन्धित माननीय सदस्यों इसमें उपस्थित रहने का आग्रह भी किया गया।

4.माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश–

आसन द्वारा राज्यपाल सचिवालय झारखण्ड के पत्रांक 18/2021–852 दिनांक–19.03.2024 के माध्यम से **"झारखण्ड वित्त विधेयक, 2022"** पर माननीय राज्यपाल महोदय से प्राप्त निम्न संदेश को पढ़ा गया–

MESSAGE

"Jharkhand Finance Bill-2022" was received in this office for assent of Hon'ble Governor of Jharkhand.

Considering legal issues involved in the Bill, Opinion from Ld Attorney General for India was sought vide letter no-3280/GS, dated-18-10-2023 of this office.

Ld attorney General for India vide letter dated-11-03-2024 has opined as follows that (Copy attached):-

I- Entry -26 of the Bill (Custom Bond) does not fall under Entry-91 of the Union List and thus the State Legislature is competent to prescribe a rate of stamp duty on the instrument.

II- Entry -30 of the Bill (Entry as an advocate of attorney: on the roll of any High Court, under the Indian Bar Council Act, or in the

exercise of the power conferred on such court by letters patent or by the Legal Practitioners Act, 1884) does not fall under Entry-91 of the Union List and thus the State Legislature is competent to prescribe a rate of stamp duty on the instrument.

III- Entry-50 of the Bill (Protest of Bill of note) Encroaches on entry-91 of the Union List and it substantially enters the parliamentary domain.

It is further opined that this entry must be read keeping in mind various other offshoots of negotiable instruments.

Protest of the Bill or Note is part of a negotiable instrument and any prescription of stamp duty of such protest of Bill of Note, in so far as it falls within the fore-corners of Entry 91 of the Union List, Parliament will be exclusively entitled to prescribe any stamp duty.

What therefore follows is that the State Legislature of Jharkhand is not competent to enact Entry 50 of the Bill.

I am therefore of the view that, suitable modification to the Bill may be introduced in this regard.

Accordingly the said Bill is being returned for re-consideration as per the Legal and Constitutional opinion of Ld. Attorney General for India.

Sd/-

Date:-19 March, 2024 (C.P. Radhakrishnan)
Governor of Jharkhand

5.औपचारिक कार्य–

(क) माननीय राज्यपाल से प्राप्त अनुमत विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना–

आसन की अनुमति से सभा सचिव द्वारा झारखण्ड विधान सभा के गत सत्र में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखी गयी जिसपर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति प्रदान की है ओर जिसकी सूचना पंचम् झारखण्ड विधान सभा के षोडश (विशेष) सत्र की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुआ है–

क्र०स०	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
01.	झारखण्ड विनियोग (संख्या–01) विधेयक, 2024	05.03.2024	02/2024
02.	झारखण्ड विनियोग (संख्या–02) विधेयक, 2024	14.03.2024	03/2024
03.	झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) विधेयक, 2024	11.05.2024	04/2024
04.	झारखण्ड माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2024	24.05.2024	05/2024
05.	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024	24.05.2024	06/2024
06.	झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण विधेयक, 2024	07.06.2024	07/2024

(ख) कृत–कार्रवाई प्रतिवेदन का सभा पटल पर रखा जाना–

आसन की अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालय के नियम–244(2) के अधीन पंचम झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत–कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

6.शोक–प्रकाश–

आसन द्वारा विगत सत्र से अबतक की अवधि के बीच से निधन हुए कई राजनेता, खिलाड़ी और आम नागरिकों के प्रति अपनी गहरी शोक–संवेदना प्रकट किया गया. प्रमुख निधन हुए व्यक्तियों में पूर्व मंत्री, लालचन्द महतो, पूर्व सदस्य, हीराराम तूफानी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सांसद, सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व मंत्री एवं समाजवादी नेता, महेन्द्र नारायण यादव, बिहार विधान सभा की पूर्व सदस्या, श्रीमती शांति देवी, पूर्व नौसेना प्रमुख, एडमिरल एल० रामदास, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा बिनोवा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, डॉ० रमेश शरण एवं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, बुधवा उराँव के साथ ही हाथरस में 121 लोगों की हुई मृत्यु, जलपाईगुड़ी में ट्रेन दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति, बीजापुर जिले में दो जवानों की शहादत, जम्मू–कश्मीर के डोडा जिला में शहीद हुए जवानों के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त की गयी।

तदुपरांत आसन से पुकारे जाने पर सदन नेता सह माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, डॉ रामेश्वर उराँव, माननीय मंत्री, श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय सदस्य, श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, श्री सरयू राय एवं माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार यादव ने भी ऊपर उल्लिखित निधन हुए विभूतियों के प्रति अपनी शोक–संवेदना प्रकट की। शोक प्रकाश के क्रम में माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा श्री राजीव रंजन पूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा के निधन की सूचना से सदन को अवगत कराया गया एवं उनके प्रति भी शोक–संवेदना व्यक्त करते हुए शोक–प्रकाश की सूची में इनका नाम शामिल करने का अनुरोध आसन से किया गया जिसपर आसन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। इसके पश्चात् शोक संवेदना प्रकट करने हेतु दो मिनट का मौन रखा गया।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक–29.07.2024 के 11.00 बजू पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–26 जुलाई, 2024 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।